

84-8-15

पत्रावली पेश हुई वकील वादी/प्रतिवादी के लिये होल्डर के जॉर्न उपर है। वास्ते साक्ष्य पत्रावली दि० 17-3-15 को पेश हो।

17-3-15

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रिप्लेण्ड/पार्ली/अपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. कार्यालय पर है। अवकाश पर है/का स्थानापन्न हो गया है। अतः पत्रावली दि० 28-4-15 को पेश हो।

रीडर

28-4-15

वकील वादी उपर है। वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी पत्रावली दि० 9-6-15 को पेश हो।

9-6-15

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रिप्लेण्ड/पार्ली/अपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. कार्यालय पर है। अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानापन्न हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-6-15 को पेश हो।

रीडर


25-5-10

16-6-15

पत्रावली आज लोक अदालत शिविर बुचोलाई पर पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी उपर है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण इस दावे को वापस लेना चाहते हैं, इसमें चर्चा है व नया दावा पेश करना चाहते हैं। अतः वादीगण को यह दावा वापस लेने, इसमें प्रस्तुत दस्तावेज वापिस करने व नवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जावे।

नरसीलाल

सजकेश



निष्कलावती

3/12

(अ. नायक)

प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को दावा वापस लेने, इस दावे में प्रस्तुत दस्तावेज वापिस लौटाने व नवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है। पचाई डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से क्रम हो एवं बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा) सदैव

लोक अदालत गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष

लोक अदालत गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बूचोलाई

सीन अधिकारी--: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

इहू पुत्र हीरा गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी

नरयाम हीरा गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी

ध पुत्र हीरा गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी

कान्जी पुत्र गिरधारी गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी

---वादीगण

बनाम

सरकार जरिए लेड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

सहायक इलाहवाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा घोषण खातेदारी एवं इन्द्राज दुरुस्ती

इना नं. - 41/2009

वादीगण की ओर से वादी राधे, कान्जी की व प्रतिवादी की ओर से नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 16.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और कोई बात नहीं जाती है कि

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को प्रस्तुत दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। साथ ही प्रस्तुत दस्तावेज भी वापिस लौटाने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 16.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सोमा०)

वाद के खर्चे

रूपया	प्रतिवादी	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
अर्जी के लिए स्टाम्प		
प्लीडर के लिए स्टाम्प		
रूपये पर प्लीडर की फीस		
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
निर्वाह की फीस		
आदेशिका की तामील		
जोड	जोड	

कान्जीवादी
के वास्ते
को

प्रतिवादी
को

मुनिदेव

25/5/15
16/6/15

पक्षकारों ने
इस दावे
को वापिस करवा
लेने, इसमें
को

को दावा
वापिस
की अनुमति
दिया जावे।
को

को